

7/8/2020

पत्रावली आज प्रार्थी के निवेदन पर पेशी में ली गई। उपस्थित प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम ढाणी फतेहसिंह पटवार हल्का सिहोट बड़ी तहसील धोद के खसरा सं. 1067/36 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, खसरा सं. 162/23 रकबा 0.5300 हेक्टेयर, खसरा सं. 1069/36 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 164/23 रकबा 0.0300 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम बजरंगदान पुत्र बलवन्तदान अंकित है। जबकि प्रार्थी के पेंशन ऑर्डर पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड में बजरंगसिंह पुत्र बलवन्तसिंह अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बजरंगदान पुत्र बलवन्तदान के स्थान पर बजरंगसिंह पुत्र बलवन्तसिंह दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना-पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "फर्द मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के परीक्षण के बाद खातेदार का नाम बजरंगदान पुत्र बलवन्तदान की बजाय बजरंगसिंह पुत्र बलवन्तसिंह शुद्ध किया जाना उचित है। तदनुरूप बजरंगसिंह पुत्र बलवन्तसिंह शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की जाती है।" प्रार्थी के पक्ष में दो स्वतंत्र गवाह कुलदीप व हरिसिंह के शपथ-पत्र पेश किये गये, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहों ने अपने शपथ-पत्रों में अंकित किया है कि "प्रार्थी को परिवार वाले, रिश्तेदार ग्रामवासी आदि बजरंगसिंह पुत्र बलवन्तसिंह के नाम से जानते व पहचानते हैं तथा प्रार्थी का दस्तावेजों में सही नाम बजरंगसिंह पुत्र बलवन्तसिंह अंकित है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों, प्रार्थी एवं स्वतंत्र गवाहों के शपथ-पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

सुपुण्ड अधिकारी धोद, सीकर





अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ढाणी फतेहसिंह पटवार हल्का सिहोट बड़ी तहसील धोद के खसरा सं. 1067/36 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, खसरा सं. 162/23 रकबा 0.5300 हेक्टेयर, खसरा सं. 1069/36 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 164/23 रकबा 0.0300 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम बजरंगदान पुत्र बलवन्तदान के स्थान पर बजरंगसिंह पुत्र बलवन्तसिंह दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हों।

  
उपखण्ड अधिकारी  
धोद मु. सीकर